the year 1967-68, under section 36 of the Employees' State Insurance Act, 1943. [*Placed in Library. See* No LT-2937/70]

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : मंत्री महोदय, आज 1967-68 साल की एम्प्लायाज स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन की आडिट रिपोर्ट रख रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर आज तीन साल की देरी कर के यह रिपोर्ट यहां पर क्यों रक्खी जा रही है ? मैं तो कहना चाहूंगा कि आप इस तरह के रूल्स बनायें कि इतनी देरी न हुआ करे।

DELHI MOTOR VEHICLES (SECOND AMENDMENT) RULES

SHRI IQBAL SINGH : I beg to lay on the Table a copy of the Delhi Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 1969 (Hindi and English Versions) published in Notification No. F. 3(34)/68-69-Tpt. in Delhi Gazette dated 19th February, 1970, under sub-section (3) of section 133 of the Motor Vehicles Act, 1939. [*Placed in Library. See* LT-2938/70]

13l½ hrs.

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

HUNDRED AND THIRD REPORT

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भेषज भंडार डिपुओं (स्वास्थ्य विभाग) से सम्बद्ध लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 1969, के पैराग्राफ 114के बारे में लोक लेखा समिति का 103वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) BILL*

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Railways Act, 1890.

MR. SPEAKER : Motion Moved :

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Railways Act, 1890."

श्री शिवचंद्र झा (मधुबनी): अध्यक्ष महोदय, यह एक तरफा विधेयक है। इस में इस की गुंजाइश होनी चाहिए कि अगर गाड़ी लेट हो जाय, गाड़ी में पानी बत्ती का इन्तजाम न हो, खाना अच्छा न मिलता हो, स्टेशन पर उस का इन्तजाम ठीक न हो, स्टेशन के मेनटेनेन्स में कोई कमी हो तो इस के सम्बन्ध में कोई कांस्टिट्यूशनल मशीनरी होनी चाहिये ताकि खबर मिलते ही वह उस पर कारंवाई कर सकें। जो भी इस के इन्चार्ज हों उन के सम्बन्ध में भी शिकायतें मिलें तो रेलवे बोर्ड को इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो जो हायेस्ट अथारिटी हो वह उस पर कारंवाई करे, यह व्यवस्था होनी चाहिये। तभी यह विधेयक कम्प्लीट होता वर्ना यह वन-साइडेड विधेयक है ओर इस तरह के एक-तरफा विधेयक को यहां पर नहीं लाना चाहिए।

MR. SPEAKER : I am sorry that such things are not allowed at the stage of introduction.

श्री मधु लिमये (मुंगेर): मंत्री महोदय को इस का जवाब देना चाहिये। नियमों में यह लिखा हुआ है। अगर कुछ डाउट है विधेयक के बारे में तो उन को जवाब देना चाहिये।

*Published in the Gazette of India Extraordinary Part II, section 2, dated the 24 March, 1970.